भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2804

17 मार्च, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

मानसिक स्वास्थ्य के लिए निधियां

2804. # श्री नीरज डांगी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान मानसिक स्वास्थ्य के लिए कितनी निधियां आवंटित की गई हैं;

(ख) क्या यह सच है कि देश में मानसिक रोग वाले लगभग 80 प्रतिशत लोग कम आय वर्ग वाले हैं और उनमें से लगभग 75 प्रतिशत को कभी इलाज नहीं मिलता है; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य के मरीज़ों के इलाज और पुनर्वासन हेतु कौन-सी नई परियोजनाएं शुरू की हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी), जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी), राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनटीएमएचपी), राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (एनआईएमएचएएनएस), बेंगलुरु, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान (एलजीबीआरआईएमएच), तेजपुर, असम और केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान (सीआईपी), रांची सहित, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मंत्रालय के अधीन आवंटित बजट निम्नानुसार है:

क्र.सं.	वर्ष	मानसिक स्वास्थ्य के लिए कुल आवंटन (करोड़ रुपये में)
1.	2022-23	1088.14
2.	2023-24	1136.48
3.	2024-25	1106.8

(ख) और (ग) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार, जिसे निम्हांस द्वारा कार्यान्वित किया गया था, विभिन्न विकारों के लिए मानसिक विकारों के उपचार में अंतर 70-91% के बीच था।

सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए भी कदम उठा रही है। सरकार ने 1.83 लाख से अधिक उप स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में उन्नत किया है। इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में प्रदान की जाने वाली व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के पैकेज में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को भी शामिल किया गया है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में मानसिक, तंत्रिका संबंधी और मादक द्रव्यों के सेवन संबंधी विकारों (एमएनएस) के लिए विभिन्न विभागों के लिए परिचालन दिशानिर्देश और प्रशिक्षण नियमावली जारी की गई हैं।

एनएमएचपी के विशिष्ट देखभाल घटक के अंतर्गत, मानसिक स्वास्थ्य विशिष्टताओं में स्नातकोत्तर विभागों में छात्रों की संख्या बढ़ाने और विशिष्ट स्तर की उपचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए 25 उत्कृष्टता केंद्रों को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य विशिष्टताओं में 47 स्नातकोत्तर विभागों को सुदृढ़ करने के लिए 19 सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों को भी सहायता प्रदान की है।

देश में सरकार द्वारा संचालित 47 मानसिक अस्पताल हैं, जिनमें 3 केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान शामिल हैं, जैसे कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर, असम और केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, रांची। सभी एम्स में भी मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त, सरकार ने देश में गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल सेवाओं तक पहुंच को और बेहतर बनाने के लिए 10 अक्टूबर, 2022 को एक "राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम" शुरू किया है। 3 मार्च, 2026 तक, 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 53 टेली मानस प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं। टेली मानस सेवाएं राज्यों द्वारा चुनी गई भाषा के आधार पर 20 भाषाओं में उपलब्ध हैं। इसकी स्थापना के बाद से हेल्पलाइन नंबर पर 34.34 लाख से अधिक कॉलों के उत्तर दिए जा चुके हैं।

सरकार ने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस (10 अक्टूबर, 2024) के अवसर पर टेलीमानस मोबाइल एप्लिकेशन का भी शुभारंभ किया है। टेलीमानस मोबाइल एप्लिकेशन एक व्यापक मोबाइल प्लेटफॉर्म है जिसे मानसिक स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न मुद्दों, जैसे कि स्वास्थ्य और मानसिक विकार, के लिए सहायता प्रदान करने हेतु विकसित किया गया है। सरकार ने टेलीमानस के अंतर्गत वीडियो परामर्श सुविधा भी शुरू की है, जो पहले से मौजूद ऑडियो कॉलिंग सुविधा का एक उन्नत संस्करण है।

******